

राजस्थान सरकार
न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प - ~~कौन्सिलिंग~~

आदेश :-

मूलतः राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पत्र एवं पटवारी ~~को को/लिग) व भूअनि~~ ~~बुल्के~~ की
द्वारा बना तहसीलदार बनेडा की अनुश्रमा क आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 136 के अनुश्रमा में प्रामाण्य (1956) तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमावन्दी
संख्या 2072-75 में खाता संख्या 159 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से
शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ख(गैर)क 159	भूअ. प्र. 35 -21192	भूअ. प्र. 35 - बरेवा

(रतनशाल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला - भीलवाडा

दिनांक :- 21/5/18

क्रमांक :- 502/18

प्रतिनिधि :-
1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट रिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री ~~श्री. क. 352~~ को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनशाल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला - भीलवाडा